

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 21/2009-10

घासनी देवी एवं अन्य।

बनाम

मोनु चरण प्रधान एवं अन्य।


आदेश


यह वाद दिनांक- 25.03.2010 को वादी घासनी देवी, पति- स्व० भास्कर गोप एवं 07 अन्य, निवासी ग्राम- माणिकपुर, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- जैतगढ़, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि मौजा- माणिकपुर, थाना संख्या- 488, खाता संख्या- 122, प्लॉट संख्या- 437, रकवा 0.52 डिसमिल भूमि का Declaration of right, title and interest के लिए प्रतिवादी मोनु चरण प्रधान एवं 03 अन्य, निवासी ग्राम- माणिकपुर, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- जैतगढ़, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


29.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


29.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।